

जेडीए का फर्जी पट्टा बनाकर चार करोड़ रुपये में प्लॉट बेचने वाली गैंग पुलिस के हथ्थे चढी

गैंग के मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

जयपुर। श्याम नगर थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए एक प्लॉट का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का फर्जी पट्टा और मुख्तारनामा बनाकर चार करोड़ रुपये में बेचने वाली गैंग के मुख्य आरोपित सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि श्याम नगर थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए की प्लॉट का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का फर्जी पट्टा और मुख्तारनामा बनाकर बेचने वाली गैंग के मुख्य अंशुल खन्ना (35) निवासी वैशाली नगर जयपुर, रिशभ देव शर्मा (35) निवासी हिण्डोल सिटी जिला करौली और राकेश कुमार सैनी (27) निवासी बास दयाल जिला अलवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में अंशुल खन्ना से सामने आया है कि उसे और उसके साथी विनय जांगिड़ तथा चेतन शर्मा को रुपये की आवश्यकता थी। जिन्होंने चेतन के जानकार अविनाश शर्मा से जून 2024 में 38 लाख रुपये उधार लिये थे। जिसके बदले में उसने अपना 56 लाख का चौक भरकर गिरवी रखा था। रुपये उसके खाते में ऑनलाइन आये थे जिसमें से 18 लाख रुपये चेतन शर्मा एवं 10 लाख रुपये विनय जांगिड़ को ट्रांसफर कर दिये। लेकिन अविनाश शर्मा ने एक माह बाद ही रुपये मांग लिये। लेकिन रुपये की व्यवस्था नहीं हो पायी। इस वजह से गैंग के अन्य सदस्यों को शामिल कर रुपये ठगने की योजना बनायी।



श्याम नगर थाना पुलिस ने जयपुर विकास प्राधिकरण का फर्जी पट्टा बनाकर बेचने करने वाली गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि सितम्बर-2024 में गोविन्द नारायण परतानी ने श्याम नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा देवी के नाम से साल-1981 में एक प्लॉट विवेक विहार में खरीदा था। साल-2021 में जेडीए का शिविर लगने पर लीज रकम जमा करवाकर पत्नी के नाम जेडीए पट्टा ले

विवेक विहार का मुख्तारनामा पंजीयन ऑफिस-5 में रजिस्टर्ड ही नहीं है। प्लॉट का ओरिजिनल पट्टे से बनाए गए फेक पट्टे में महिला की जगह आदमी की फोटो लगाई गई है। फेक मुख्तारनामा धारक अंशुल खन्ना और गवाह राकेश कुमार सैनी व रिशभ शर्मा हैं। पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। धनाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में अंशुल खन्ना से सामने आया है कि उन्होंने जेडीए की वेबसाइट से प्लॉट के मालिक के बारे में डिटेल्स ली। एडिटिंग टूलस का यूज कर फेक मुख्तारनामा व चालान रसीद तैयार की। उस पर उप पंजीयक-5 जयपुर को फेक सील-मोहर लगाकर तैयार कर ली। ओरिजिनल ऑनर श्यामा परतानी के आधार कार्ड में एडिटिंग कर महिला की जगह पुरुष की फोटो लगा दी। महिला की जगह पुरुष और पति की जगह पुत्र कर दिया। प्लान के तहत सीए दोस्त चेतन शर्मा को प्लॉट बेचने के लिए एडिटर लाने की जिम्मेदारी दी। चेतन शर्मा ने अपने जानकार नरेश कुमार गुप्ता को प्लॉट व डॉक्यूमेंट दिखाए। डील फाइनल होने पर नरेश कुमार गुप्ता से एग्रीमेंट कर कुल 75 लाख रुपये ले लिए, लेकिन उसको रजिस्ट्री नहीं करवाई। वहीं राकेश सैनी जिस से प्लॉट के फेक पेपर मार्केट में उन्हे बहुत पैसे वाला है। उसको प्लॉट दिखाने पर वह नरेश कुमार से ज्यादा रुपयों में खरीदने को राजी हो गया। प्लॉट का सौदा सेट जानकी शरण से 3.20 करोड़ में कर बेचान कर दिया। उनकी बहू सपना के नाम उपपंजीयक ऑफिस 10 जयपुर में रजिस्ट्री करवा दी। उनसे मिले रुपयों को गैंग के सदस्यों ने आपस में बांट ली।

पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने जेडीए की वेबसाइट से प्लॉट के मालिक के बारे में डिटेल्स ली। एडिटिंग टूलस का यूज कर फेक मुख्तारनामा व चालान रसीद तैयार की। उस पर उप पंजीयक-5 जयपुर की फेक सील-मोहर लगाकर तैयार कर ली। ओरिजिनल ऑनर श्यामा परतानी के आधार कार्ड में एडिटिंग कर महिला की जगह पुरुष की फोटो लगा दी। महिला की जगह पुरुष और पति की जगह पुत्र कर दिया।

लिया था। प्लॉट की बाउंड्री वॉल बनाकर गेट व ताला लगाकर स्वामित्व ले रखा है। रिश्तेदार ने कॉल कर बताया कि उनके प्लॉट के फेक पेपर मार्केट में उन्हे इसमें उनकी पत्नी की जगह श्यामा परतानी नाम से आदमी का रजिस्टर्ड

चेटीचंड के अवकाश के दिन क्रिकेट मैच लीग के आयोजन का मामला गर्माया

कार्यालय संवाददाता- जयपुर। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) के जयपुर चैप्टर की कार्यकारी समिति द्वारा गत 30 मार्च को क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन करने का विरोध गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि इस दिन चेटीचंड अवकाश था और इस संदर्भ में समिति के चेयरमैन विवेक शर्मा व सचिव वरुण मेहरा को 2 बार सिंधी समाज के एक सदस्य ने पत्र लिखकर आपत्ति भी दर्ज करवायी थी। इसके बावजूद ना तो उन्होंने सिंधी समाज की धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए मैच को तारीख बदली और ना ही आपत्ति दर्ज करवाने वाले सदस्य को कोई पत्र का जवाब दिया। इस मामले में जब विवेक शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जयपुर चैप्टर में 2500 सदस्य हैं, हमें शिकायती पत्र मैच आयोजन के टीक 2-3 दिन पहले मिला था, ऐसे में आखिरी वक्त पर मैच रद्द करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच का यह शेड्यूल हमने केन्द्रीय समिति से अप्रूव भी करवाया था। उनका कहना है कि क्रिकेट मैच का आयोजन गैर अकादमिक श्रेणी में आता है, उन्हें प्रत्येक सत्र में ऐसा एक आयोजन करना ही होता है। ऐसे में क्रिकेट मैच रद्द करने

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के जयपुर चैप्टर द्वारा गत 30 मार्च को किया गया था लीग का आयोजन
- बताया जा रहा है कि सिंधी समाज के सदस्य ने चेटीचंड के दिन यह मैच रखने पर आपत्ति दर्ज करवायी थी, परंतु समिति ने उसे नजरअंदाज कर दिया

अथवा उसकी तारीख बदलने का कोई विकल्प नहीं था। इस मैच में मात्र 402 सदस्य ही हिस्सा ले सकते थे और सिंधी समाज से भी सदस्य आमंत्रित थे और उनमें से कुछ लोगों ने हिस्सा भी लिया था। सिंधी समाज के जिस सदस्य ने शिकायत दी है, वे खुद पिछले वर्ष चेटीचंड के दिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) में अपने मुक्तिवकल को पैरवी के लिए पेश हुए थे। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि, यह आरोप मिथ्या है, चेटीचंड के दिन अवकाश रहता है, मैं पिछले वर्ष एन.सी.एल.टी. में पैरवी के लिए नहीं गया था। दरअसल यह मामला अब इसलिए गर्माया है, क्योंकि आई.सी.एस.आई. के जयपुर चैप्टर द्वारा पूर्व में भी 2 बार चेटीचंड के दिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवायी जा चुकी हैं। वर्ष 2015 में चेटीचंड के दिन

तत्कालीन समिति अध्यक्ष द्वारा "प्रोफेशनल डवलपमेंट प्रोग्राम" आयोजित किया गया था, जिसकी भी शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा गया था, परंतु उसके बाद तत्कालीन सचिव राहुल शर्मा ने आदेश दिए थे कि, जिसमें सभी त्यौहारों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगायी थी। वर्ष 2019 से 2023 तक चेयरमैन रह चुके राहुल शर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि, मेरे कार्यकाल में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। पिछले दिनों हुए मैच के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकरण में आई.सी.एस.आई. जयपुर चैप्टर के समिति सदस्य वैभव तेजवानी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि, इस क्रिकेट मैच की जानकारी मुझे भी समय से नहीं दी गई थी और यह भी नहीं बताया गया था कि चेटीचंड के दिन इस तरह का आयोजन किये जाने को

दिया कुमारी ने किए कुलदेवी के दर्शन

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर शनिवार को कुलदेवी श्री जमुवाय माता, श्री शिला माता मंदिर और मनसा माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की।

उप मुख्यमंत्री ने श्री जमुवाय माता मंदिर के विकास और सड़क कार्य का भी जायजा लिया।

बीआईएस ने अमेज़न वेयरहाउस पर छापा डाला

जयपुर। भारतीय मानक ब्यूरो, राजस्थान की टीम ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म-अमेज़न के जयपुर में झोटावाड़ा स्थित वेयरहाउस पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उल्लंघन हेतु 4 एवं 5 अप्रैल को तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में वे उत्पाद जप्त किए गए। जिन्हें बिना मानक मुहर (आईएसआई मार्क एवं रजिस्ट्रेशन मार्क) विक्रय हेतु संग्रहित किया गया था। यह कार्रवाई कानिका कालिया, निदेशक एवं प्रमुख, बीआईएस राजस्थान के निदेश पर बीआईएस के पांच अधिकारियों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा की गई जिसमें रमन कुमार त्रिवेदी, दीपक लोदवाल, पवन कुमार, सुरेश कुमार गोपालन, संगीता चौधरी शामिल थे।

लक्ष्य पूरा नहीं करने पर सेवा परिलाभ नहीं रोक सकते : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं करने के आधार पर ही किसी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती और ना उसके सेवा संबंधी परिलाभ रोकें जा सकते हैं। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता के सर्विस रिकॉर्ड में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने आयुर्वेद विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने में प्रार्थी को चर्यनित वेतनमान व सभी परिलाभ दें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश आयुर्वेद विभाग से रिटायर कंपाउंडर कमलेश कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर के पद पर था। इस दौरान 1995-96 में परिवार नियोजन का तय लक्ष्य पूरा नहीं करने के चलते विभाग के अफसरों ने उसके सर्विस रिकॉर्ड में टिप्पणी कर दी। उसने विभाग के अफसरों को प्रतिवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी बहाल रखी। इसके साथ ही साल 1999 में उसे मिलने वाले चर्यनित वेतनमान का लाभ भी एक साल के लिए स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट में इसे चुनौती देकर कहा कि साल 2004 के परिपत्र में कर्मचारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में परिवार

नियोजन लक्ष्य में कमी पर प्रतिकूल टिप्पणी करने पर पाबंदी लगाई गई है। परिवार नियोजन का जो लक्ष्य प्रार्थी को दिया था, उसे पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का जबरन परिवार नियोजन नहीं कर सकते। कर्मचारी केवल प्रयास ही कर सकता है और लक्ष्य पूरा नहीं करने पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसके खिलाफ सर्विस रिकॉर्ड में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटाते हुए उसे परिलाभ दिलाए जाएं जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि केवल परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर ही कर्मचारी के सेवा परिलाभ नहीं रोक सकते।

‘वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम बहनों के सम्मान को बढ़ावा देने वाला’

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम बहनों के सम्मान को बढ़ाने वाला बिल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहनों और गरीब मुसलमान लोगों के सम्मान, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बिल के बाद भी वक्फ की संघर्षों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। विपक्ष इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं लेकिन अब मुस्लिम बंधु अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाला नहीं है। राठी ने कहा कि इस बिल के बाद वक्फ श्रमिकों ने मुस्लिम बहनों को शामिल किया जाएगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

बेहतर जीवन स्तर से समृद्ध होंगे सीमावर्ती गांव : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान किए गए "वाइब्रेंट विलेजस कार्यक्रम" को सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास की दिशा में सशक्त बनाने का उद्देश्य है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं नागरिकों के जीवन स्तर को अधिक बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि वाइब्रेंट विलेजस

मुख्यमंत्री ने "वाइब्रेंट विलेजस कार्यक्रम" के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया

कार्यक्रम द्वितीय के अन्तर्गत राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांवों को शामिल किया जाएगा।



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शनिवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की यह शिष्टाचार भेंट थी।

केंद्र और राज्य श्रमिक हितों के लिए चला रहे कई योजनाएं : दिया कुमारी

जयपुर। विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन के प्रथम तल का लोकार्पण और नव गठित कार्यकारीणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने नव गठित कार्यकारीणी को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य भी किये जा रहे हैं। एसोसिएशन की नवीन कार्यकारीणी नव परिवर्तन का आधार बने। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करते हुए उन्होंने मानव कल्याण के कार्य में अपना अमूल्य योगदान देने वाले रक्तदाताओं का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद को जीवनदान दे सकता है। रक्त की एक-एक बूंद किसी को दी गई एक-एक सांस

विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नवीन कार्यकारीणी बने नव परिवर्तन का आधार

से उनके प्रति जागरूकता लाकर अधिक से अधिक लाभ उठाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावों के समय मैंने यहां कई समस्याएं देखीं और कई समस्याओं से मुझे अवगत कराया गया। मैं विद्यार्थ नगर विधानसभा क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यदि आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या आए तो आप मुझे बताएं मैं उसके समाधान का हर सम्भव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की संघर्ष अर्थव्यवस्था राजमार्गों पर निर्भर करती है, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने राजमार्गों और सड़क नेटवर्क को विकसित करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जिससे बेहतर कनेक्टिविटी बनी है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों और दूरदराज के स्थानों में। इससे उद्योग, ट्रांसपोर्टर्स और आमजन को फायदा हुआ है।

‘सीजीएसटी अपीलीय प्राधिकारी के यहां वीसी से सुनवाई क्यों नहीं’

जयपुर। हाईकोर्ट ने करदाताओं की ओर से कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें सीजीएसटी अपीलीय प्राधिकारी की ओर से वचुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देने को गंभीर माना है। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वचुअल सुनवाई है तो फिर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा करदाताओं को वचुअल सुनवाई उपलब्ध नहीं करवाने का ऐसा कोई उचित कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि करदाताओं को यदि बुनियादी ढांचे के अभाव में वचुअल सुनवाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो केन्द्र सरकार को अपनी बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए और

हाईकोर्ट ने करदाताओं की ओर से कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें वचुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देने को गंभीर माना है

करदाताओं को यह सुविधा दी जानी चाहिए। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश मैसेज डीआर एन्ट्राइजेज की याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता रवि गुप्ता ने बताया कि खंडपीठ ने प्रार्थी फर्म को भी राहत देते हुए 37.50 लाख रुपए की डिमांड के मामले में आगामी सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। खंडपीठ ने संयुक्त आयुक्त,

देवनानी कल गोवा जाएंगे

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सोमवार को गोवा जायेंगे। देवनानी 7 व 8 अप्रैल को दो दिवस की गोवा यात्रा पर जयपुर से सोमवार को प्रातः 8 बजे वायुयान से रवाना होकर नाथं गोवा पहुंचेंगे। देवनानी दो दिवस की गोवा यात्रा के दौरान वहाँ आयोजित राजस्थान स्थाना दिवस समारोह, भारत सरकार के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक सहित प्रवासी राजस्थानियों और सिंधी समाज सहित अनेक कार्यक्रमों भाग लेंगे। देवनानी गोवा में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक में भाग लेंगे।

प्रोजेक्ट पर यथास्थिति के आदेश

जयपुर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 जयपुर महानगर प्रथम ने एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने पर शिवज्ञान डवलपर्स व अन्य को पाबंद किया है कि वह आदर्श नगर में बने रहे प्रोजेक्ट के फ्लैट्स पर यथास्थिति बनाए रखे। अदालत ने यह आदेश नर्मदा देवी व अन्य के प्रार्थना पत्र पर दिए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि दोनों पक्षकारों के बीच एमओयू हुआ था। जिसमें एफएआर पर 55 फीसदी निर्मित परिया वादी को दिया जाना था, लेकिन विपक्षी बिल्डर ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में उसे पाबंद किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

विपक्षी बिल्डर ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में उसे पाबंद किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।